न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2018/00041
मिसल नम्बर–49/2018

1. महेन्द्र सिंह आत्मज श्री हीरा सिंह जी
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र हीरा सिंह
   2/1 श्रीमती शीला कंवर पत्नी सुरेन्द्र सिंह
   2/2 वर्षा कुमारी पुत्री सुरेन्द्र सिंह नाबालिक जर्ये माता शीला कंवर
   2/3 विनय प्रताप सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह नाबालिक जर्ये माता शीला कंवर
   2/4 सुमेर सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह
3. वीरेन्द्र सिंह पुत्र हीरा सिंह
   जाति नायक निवासी ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा

वादीगण

बनाम

1. प्रभुसिंह आत्मज स्व0 श्री श्योराम
2. मुल्क राज सिंह पुत्र श्योराम
3. छीतर सिंह उर्फ शक्ति सिंह पुत्र श्योराम
   जाति नायक निवासी ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. हीरा सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र जी
   जाति नायक निवासी ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जर्ये प्रतिनिधि तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

प्रतिवादीगण।

प्रार्थना–पत्र
(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी बाबत्)
–:निर्णय:–

दिनांक: 06/11/2024

उपस्थित अधिवक्तागण:–
1.श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, श्री सम्पूर्णानन्द राय अधिवक्ता वादीगण।
2.श्री अनुराग गुप्ता, अधिवक्ता प्रतिवादी क्रम 1, 2, 3।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 53, 188 के तहत् वादीगण महेन्द्र सिह वगै0 ओर से अधिवक्ता श्री रविन्द्र खण्डेलवाल द्वारा प्रस्तुत जैरकार वाद में प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 की ओर से दिनांक 15.10.2018 को न्यायालय में आदेश 7

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

नियम 11 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र बाबत् नामंजूर (रिजेक्ट) किये जाने वाद इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण ने न्यायालय में घोषणा विभाजन आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण के दादा श्री रामचन्द्र आत्मज ग्यारसिया जाति नायक निवासी ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है। रामचन्द्र के दो पुत्र श्योराम व हीरासिंह है। श्योराम का निधन दिनांक 30.09.2015 को हो चुका है। वादीगण, प्रतिवादी नं. 04 हीरासिंह के पुत्र है। वादीगण का वाद में यह भी कथन है कि वादीगण के दादा रामचन्द्र के खातेदारी व कब्जे काश्त में माफी चाकरी सांसरी गिरी की गत खसरा नं0 342/56 रकबा 21 बीघा एवं खसरा नं. 235/17 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब में स्थित रही है । उपरोक्त भूमि के प्रथत सेटलमेंट में नए खसरा नं. 199 रकबा 21 बीघा व खसरा नं. 330 रकबा 15 बीघा कायम किया गया था। हाल सेटलमेंट के पश्चात नए खसरा नं. 309 रकबा 3.38 है0 खसरा नं0 510 रकबा 0.21 है0 खसरा नं. 511 रकबा 0. 99 है0 एवं खसरा नं. 550 रकबा 0.79 है0 कुल 04 किता की 5.37 है0 रकबा कायम हुआ है। उक्त कृषि आराजी पुश्तेनी कृषि आराजी है जो रामचन्द्र को अपने पिता ग्यारसिया के मृत्यु के पश्चात् वंशानुगत रूप से प्राप्त हुई है। उक्त आराजी में वादीगण के पिता हीरासिंह के साथ वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है। उक्त कृषि आराजी में वादीगण का प्रतिवादी नं. 04 के साथ 1/8 – 1/8 हिस्सा निहित है। वादीगण का वाद में यह भी कथन है कि उक्त कृषि आराजी के अलावा ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा में हाल खसरा नं. 96 रकबा 0.21 है0 खसरा नं. 283 रकबा 1.17 है0 खसरा 306 रकबा 1.10 है0 खसरा नं. 308 रकबा 0.24 है0 खसरा नं. 549 रकबा 0.69 है0 खसरा नं0 35 रकबा 0.88 है0 खसरा नं. 94 रकबा 0.07 है0 कुल 07 किता की 4.36 है0 स्थित है । उक्त आराजी वादी के दादा जी की पुश्तेनी आराजी है जिसमें वादीगण का अपने पिता हीरा सिंह प्रतिवादी नं. 04 के साथ 1/8 – 1/8 हिस्सा निहित है। प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी 01 लगायात 03 का यह भी कथन है कि वाद पत्र के चरण क्रम 4,5,9 में वर्णित सम्पूर्ण वाद विष्यक आराजी पुश्तेनी नही है। वाद पत्र में चरण नं. 4,5 में वर्णित आराजियात से वादीगण व प्रतिवादी नं0 04 का कोई संबंध नही है। यहां यह भी उल्लेखनिय है कि वादीगण के पिता हीरासिंह जीवित है जिसे इस वाद में बतौर प्रतिवादी नं. 04 पक्षकार बनाया गया है। अतः वादीगण का उपरोक्त आराजियात में कोई हक व अधिकार नही है, हित निहित नही है तथा कब्जा भी नही है। यह कि प्रतिवादी नं. 01 लगायत 03 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया है कि वाद पत्र की मद नं0 4 व 5 में वर्णित आराजियात माफी चाकरी सांसंरी गिरी की थी, माफी चाकरी सांसरी गिरी एक विलेज सर्विस थी। रामचन्द्र जी ने स्वेच्छा से सांसरी गिरी (चौकीदारी) का कार्य छोड दिया था, उसके बाद गुलाब सासंरी गिरी का कार्य करने लगा। गुलाब के बाद हुसेन खां सांसरी गिरी का कार्य करने लगा। उनके नाम का पृथक दाखिल खारिज हुआ। इसके बाद में प्रतिवादी क्रम 01, 02 व 03 के पिता श्री श्योराम जी सांसरी गिरी रिज्यूम होने के समय सांसरी गिरी का कार्य करते थे, तथा उपरोक्त भूमि को काश्त करते थे। इस कारण प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 के पिता श्री श्योराम जी उपरोक्त भूमि के कानूनन खातेदार टेनेन्ट हो गये थे। श्योराम द्वारा विलेज सर्विस सासंरी गिरी का कार्य करने से उपरोक्त भूमि उन्हे प्राप्त हुई थी । उपरोक्त भूमि श्योराम के जीवन काल में निरन्तर उनके कब्जे काश्त में रही । श्योराम के स्वर्गवास के बाद से उपरोक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 के खाते एवं कब्जे काश्त में है। प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 का प्रार्थना पत्र में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

यह भी कथन है कि वादीगण के पिता श्री हीरासिंह ने कभी भी सांसरी गिरी, चौकीदारी का कार्य नही किया था, तथा वादीगण ने भी कभी सांसरीगिरी का कार्य नही किया हैं । हीरासिंह एवं वादीगण ने कभी भी उपरोक्त भूमि को काश्त नही किया है। अतः वादीगण व हीरासिंह का उपराक्त भूमि पर कोई हक व अधिकार नही है, तथा हित निहित नही है, तथा उनका कब्जा भी नही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 का यह भी कथन है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी क्रम 04 हीरासिंह जीवित है। उपरोक्त आराजियात पैत्रक आराजियात नही है। वाद पत्र की चरण क्रम 09 में वर्णित आराजियात स्वअर्जित है। वादीगण का उपरोक्त आराजियात में कोई हक एवं अधिकार नही है, हित निहित नही है, तथा कब्जा नही है। वादीगण को यह दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह वाद पोषणीय नही है। वाद कारण के अभाव में वाद कारण प्रकट नही होने से दावा वादीगण खारिज, नामन्जूर, रिजेक्ट किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 का यह भी कथन है कि वादीगण ने सर्वधा गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा महज उन्हे परेशान करने के उद्देश्य से असदभाविक रूप से प्रस्तुत किया है। समस्त तथ्यों की जानकारी के बावजूद भी वादीगण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह वाद व उसकी निरन्तरता विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है, केवल तुच्छ व तंग करने वाला है, जिसकी विद्यमानता एवं निरन्तरता प्रतिबन्धित करने के उद्देश्य से व्यवहार विधि संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत न्यायालय की अन्तर्निहीत शक्तियों के अन्तर्गत अधिकार है। चूंकि इस वाद की निरन्तरता न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है, अतः इस प्रार्थना पत्र में वर्णित उपरोक्त कारण से वादीगण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह वाद पोषणीय नही होने से निरस्तनीय है, नामन्जूर (रिजेक्ट) किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 का यह भी कथन है कि वादीगण के पिता श्री हीरासिंह ने वाद विषयक आराजियात के संबंध मे न्यायालय में पृथक से वाद प्रस्तुत कर रखा है। अतः वादीगण द्वारा यह दावा प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नही है। उक्त वाद की वादीगण को वक्त दायरी दावा से जानकारी थी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी नं. 01 लगायत 03 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा वादीगण नामन्जूर किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

वादीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का जवाब प्रस्तुत कर यह जाहिर किया है कि वाद विषयक आराजी का पुश्तेनी आलेखित किया जाना स्वीकार है किन्तु वादीगण द्वारा अन्य आधार भी लिये गये है। वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तेनी व कोपार्सनरी सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण का अपने पिता हीरासिंह के साथ 1/8 – 1/8 हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन केवल मात्र उनकी प्रतिरक्षा है। जिसे प्रतिवादीगण जवाब दावे में उठाने हेतु स्वतत्र है। उनकी प्रतिरक्षा बाद तनकीयात साक्ष्य के पश्चात ही निर्णित की जा सकती है। जिसे इस प्रार्थना पत्र के तहत न तो देखा जा सकता है और ना इस स्तर पर प्रतिवादी को उक्त प्रतिरक्षा उठाने का अधिकार है। उक्त आराजी माफी ग्रान्ट की वादीगण की पुश्तेनी आराजियात है। स्वयं प्रतिवादी नं. 01 मुलकराज सिंह व शक्ति सिंह ने तहसील लाडपुरा के समक्ष चली कार्यवाही में शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त आराजी को पुश्तेनी होना स्वीकार किया है। तथा न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.06.2016 में उक्त भूमि को वंशानुगत रूप से पुश्तेनी होना निर्णित किया है। प्रतिवादीगण उक्त निर्णय व न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा के यहा की गई अपनी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★ (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
को

स्वीकृति से पाबंद व एस्टॉब्ड है। उक्त भूमि प्रतिवादी की स्वीकृति से पुश्तेनी होना साबित है। उक्त भूमि पुश्तेनी तथा वादीगण अपने 1/8 – 1/8 हिस्से पर काबिज है। प्रतिवादी द्वारा उक्त संपत्ति पैतृक न होने और उसमें वादीगण का हक व अधिकार नही होने के संबंध में उठाई गई आपत्ति विशुद्व रूप से उनकी प्रतिरक्षा है जो प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पश्चात् साबित किया जाना आवश्यक है। वादीगण का उपरोक्त पैतृक संपत्ति में जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। वादीगण को दावा लाने का अधिकार है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद से स्पष्ट है कि वादीगण को प्रस्तुत वाद लाने का स्पष्ट वाद कारण प्रकट हुआ है। जिसके कारण यह नही कहा जा सकता कि वादीगण को वाद कारण प्रकट न हुआ हो।

प्रतिवादी नं. 01 लगायत 03 एवं वादीगण की ओर से मौखिक बहस की गई एवं लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

प्रतिवादीगण नं0 01 लगायत 03 की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई कि उपरोक्त माफी चाकरी चौकीदारी, सांसरी गिरी की भूमि भी जो भी व्यक्ति गांव में चौकीदारी व सांसरीगिरी का कार्य करता था, सासंरीगिरी की भूमि को उसके खाते में दर्ज कर दिया जाता था । पूर्व में रामचन्द्र आत्मज ग्यारसिया चौकीदारी व सासंरीगिरी का कार्य करता था इस कारण से उक्त भूमि रामचन्द्र के खातेदारी में दर्ज थी। रामचन्द्र द्वारा स्वैच्छा से वृद्वावस्था होने के कारण चौकीदारी व सासंरीगिरी कार्य छोड दिया गया था इसके पश्चात गुलाब द्वारा चौकीदारी व सांसरीगिरी का कार्य करने के कारण राजस्व अभिलेख जमाबंदी में उसके नाम का अंकन किया गया। कुछ समय बाद गुलाब द्वारा भी उक्त कार्य छोड दिये जाने के उपरान्त हसन खां उर्फ हुस्ना बेटा जमाल खां के खाते में चौकीदारी व सांसरीगिरी का कार्य किये जाने के कारण राजस्व अभिलेख जमाबंदी में हसन खां के नाम का इन्द्राज किया गया कुछ वर्षों बाद हसन खां उर्फ हुस्ना बेटा जमाल खां द्वारा चौकीदारी का कार्य छोड दिया गया तदौउपरान्त श्री श्योराम जाति नायक निवासी ग्राम रंगतलाब उर्फ कालातलाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा के द्वारा चौकीदारी व सासंरीगिरी का कार्य किया जाने लगा । वक्त रिजम्शन माफी सासंरीगिरी श्योराम आत्मज रामचन्द्र सांसरीगिरी का कार्य कर रहा था इस कारण राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 193 के अन्तर्गत श्योराम आत्मज रामचन्द्र कानूनन उपरोक्त भूमि का खातेदार टिनेन्ट हो जाने से राजस्व अभिलेख जमाबंदी में उसका नाम बतौर खातेदार टिनेन्ट दर्ज किया गया। प्रतिवादी नं0 01 लगायत 03 की ओर से यह भी बहस की गई कि वादीगण ने उनके पिता की हीरासिंह को इस वाद में बतौर प्रतिवादी नं 04 पक्षकार बनाया गया है अर्थात् वक्त दायरी दावा हीरासिंह के जीवित होने के कारण वादीगण को वाद विषयक आराजियात में कोई हकूक प्राप्त नही होते है। पिता की मृत्यु के उपरान्त ही पुत्र को हक विरासत प्राप्त होता है । वादीगण ने वाद पत्र की मद नं 13 में वाद कारण दिनांक 23.03.2018 को उत्पन्न होना जाहिर किया है। वादीगण के पिता हीरासिंह के जीवित होने से वादीगण को कोई हक विरासत प्राप्त नही होता है तथा उन्हे दावा लाने का कोई अधिकार नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद Frivolous & vexatious क्लेम पर आधारित होने से न्यायालय की अन्तर निहित शक्तियों (inherent powers) के तहत भी धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत भी खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है वादीगण ने दिखावटी एवं बनावटी (illusory

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

cause of action) वाद कारण के आधार पर केवल मात्र प्रतिवादीगण को तंग एवं परेशान करने के उद्देश्य से दिखावटी वाद कारण के आधार पर यह दावा प्रस्तुत किया है। इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 03 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत की :—

1. 2023 (3) D.N.J. S.C. page 751
2. 2022 (2) R.R.T. page 1047
3. 2024 (1) C.J. (civil) page 483
4. A.I.R. 2008 page 40
5. 2017 (1) D.N.J. (Raj) page 01 (H.C.)
6. 2017 R.B.J. page 757 (H.C.)
7. RRD 1994 page 659

वादीगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई कि वाद विषयक आराजियात वादीगण की पुश्तेनी भूमि है। माफी चाकरी का कार्य वादीगण के दादा श्री रामचन्द्र द्वारा किया जाता रहा था माफी रिज्यूम हो चूकी है। इस कारण वादीगण को माफी की उपरोक्त भूमि विरासतन (Heritable) प्राप्त हुई है। उपरोक्त भूमि में वादीगण का जन्म से ही कानूनी अधिकार है इस कारण उनको दावा लाने का विधिक अधिकारी है। वादीगण को दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ अथवा नही हुआ यह प्रश्न वाद बिन्दु कायम होने के पश्चात बाद शहादत ही तय किया जा सकता है। तहसील में प्रस्तुत शपथ पत्र में वादीगण वाद विषयक आराजियात को पुश्तेनी होना माना गया है। अतः वे इसके विपरीत कथन करने से विबंधित है। प्रस्तुत प्रकरण में हिन्दु उतराधिकार की 8 लागू नही होती है बल्कि धारा 6 लागू होती है। वादीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस यह भी कथन किया कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र निर्णित करते समय केवल मात्र वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित अभिवचनों का अवलोकन किया जाता है तथा यदि वाद के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है या वादी को वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न नही होता है तो ही आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वादी के वाद को खारिज किया जा सकता है। वादी के वाद के अवलोकन से स्पष्ट है वादी का वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य है तथा वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व दावा प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा आंशिक रूप से नामंजूर नही किया जा सकता है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।
वादीगण की ओर से निम्न नजीरें प्रस्तुत की गई:—

1- Civil appeal No. 10802 of 2017 D/d. 21-08-2017
2- 2024(3) Civil Cases 724 (Raj) (H.C.)
3- 2024(2) D.N.J. (Raj.) 605
4- 2023(3) D.N.J. (SC) – 751
5- 2017 (1) D.N.J. (raj.) (H.C.) - 1

वादी के अभिभाषक द्वारा की गई बहस का विरोध करते हुए अभिभाषक प्रतिवादी ने जाहिर किया है कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि माफी चौकीदारी की जमीन रामचन्द्र द्वारा चौकीदारी का कार्य करने से इन्कार के बाद चौकीदारी का

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कार्य अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया था तदोपरान्त चौकीदारी का कार्य श्योराम आत्मज रामचन्द्र करने लगा। श्योराम आत्मज रामचन्द्र को चौकीदारी का कार्य वंशानुगत रूप से प्राप्त नही हुआ था। इस कारण माफी चौकीदारी की भूमि पुश्तेनी भूमि नही है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.2016 एक संक्षिप्त प्रक्रिया की श्रेणी में आता है। इस कारण नियमित वाद की कार्यवाही में कोई बाध्यकारी प्रभाव नही रखता है। प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 के अभिभाषक द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में 1994 आर0आर0डी0 पृष्ठांक 659 प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये विवाद रहित दस्तावेजात एवं अविवादित दस्तावेजात को भी आदेश 7 नियम 11 के व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय भी अवलोकन किया जा सकता है। धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं धारा 40 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत खातेदार की मृत्यु हो जाने पर ही उसके उत्तराधिकारों को हक विरासत प्राप्त होता है। इस कारण प्रतिवादी नं0 04 हीरासिंह के जीवनकाल में वादीगण को यह दावा लाने का अधिकार नही है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया तथा पत्रावली का भी अवलोकन किया। वादीगण द्वारा वाद विषयक आराजियात के संबंध में हक घोषणा खातेदारी विभाजन आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया है। इस वाद में वादीगण के पिता हीरासिंह को बतौर प्रतिवादी नं0 04 पक्षकार बनाया गया हैं। वादीगण का कथन है कि वाद विषयक आराजियात पुश्तेनी भूमि है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी नं0 04 हीरासिंह के साथ जन्म से ही 1/8 हिस्सा है। इस कारण वादीगण को दावा प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार है। इस संबंध में प्रतिवादीगण के अभिभाषक का कथन है कि वाद विषयक आराजियात में हीरासिंह के जीवनकाल में वादीगण का कोई हक एवं अधिकार नही है तथा उन्हे कोई हक विरासत प्राप्त नही होता है। इस संबंध में वकील प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2024 (1) C.J. (civil) (Raj) page 483 महत्वपूर्ण है जिसमें सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि पुश्तेनी जायदात के संबंध में भी पुत्र को पिता के जीवनकाल में हक घोषणा खातेदारी एवं विभाजन आराजी का दावा लाने का कोई अधिकार नही है। इस प्रकरण में हिन्दु उत्तराधिकार 1956 धारा 8 के प्रावधानो पर विचार करते हुए आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया गया है। इसमें निम्न सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि Hindu succession Act, 1956-Sec. 8-code of civil procedure, 1908-order 7, rule 11- partition- scope for – property was purchased by the grandfather – respondent no. 1 was not entitled to have right in the suit property during the life time of his father-suit for declaration of relinquishment deed as null and void, partition and permanent injunction filed by him was not maintainable- trail court wrongly dismissed the application under order 7, rule 11. वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ रामचन्द्र बेटा ग्यारसिया जाति नायक के खाते की जमाबंदी संवत् 1993 लगायत 1996 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। जिसमें बजाये रामचन्द्र के गुलाब बेटा जमाल खां के दाखित खारिज का इन्द्राज हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि रामचन्द्र द्वारा चौकीदारी का कार्य बंद कर दिया गया था इस कारण बजाये रामचन्द्र गुलाब का दाखिल खारिज मंजूर हुआ तथा जमाबंदी में गुलाब का नाम बतौर खातेदार अंकित किया गया। रामचन्द्र द्वारा माफी चौकीदारी का कार्य बंद कर दिया गया था और गुलाब का नाम बतौर खातेदार अंकित किया गया इस

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कारण प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आराजियात वादीगण की पुश्तेनी आराजियात नही है क्योकि रामचन्द्र ने अपने जीवनकाल में ही चौकीदारी सांसरीगिरी का कार्य बंद कर दिया था और अन्य व्यक्ति चौकीदारी का कार्य करने लग गया था। प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 की ओर से जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत् 1997 लगायत 2000 में बजाय गुलाब के हुसैना का दाखिल खारिज मंजूर हुआ अर्थात् गुलाब के बाद हुसैना चौकीदारी सासंरीगिरी का कार्य करने लगा। हसन खां के बाद से हुसैना उर्फ हसन खां द्वारा भी चौकीदारी से इन्कार करने पर श्योराम द्वारा चौकीदारी का कार्य किया जाने लगा जिसकी पुष्टि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपियों से होती है। आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत भी अविवादित दस्तावेजात अथवा जिन्हे विवादित नही किया जा सकता है उनका भी अवलोकन किया जा सकता है। इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त जो 2017 R.B.J page 757 पर प्रकाशित हुआ है, महत्वपूर्ण हैं। Civil procedure code 1908- order 7 rule 11 – documents filed by defendant, which are undisputed or cannot be disputed, can also be looked into to decide an application filed under order 7 rule 11 CPC. तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 02.06.2016 को पारित आदेश श्योराम के फौती नामान्तकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत पारित किया गया था जो एक संक्षिप्त कार्यवाही के अन्तर्गत पारित आदेश है। दावा निर्णित करते समय उक्त आदेश बाध्यकारी नही होता है इस संबंध में अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 1994 पृष्ठांक 659 महत्वपूर्ण है जो निम्न प्रकार है "An order of the board of revenue passed in mutation proceedings is not binding on the subordinate revenue courts while deciding a revenue suit for declaration". वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नही होते है क्योकि उनके तथ्य भिन्न है। हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया, संवत् 2016 से 2024 में श्योराम वल्द रामचन्द्र का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज था। संलग्न दस्तावेजों से यह भी प्रमाणित है कि प्रश्नगत आराजी श्योराम को अपने पिता रामचन्द्र से वंशानुगत प्राप्त न होकर विलेज सर्विस के वेतन के रूप में प्राप्त हुई थी। संवत् 2016 से 2024 में श्योराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के रूप में दर्ज होने के लगभग 60 वर्ष पश्चात् यह वाद प्रस्तुत करना अपने आप में स्वयं प्रमाणित करता है कि हस्तगत प्रकरण में कोई वाद कारण वर्तमान में उत्पन्न नही हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा पैरा 04 व 05 में वर्णित भूमि के साथ–साथ पैरा 09 की भूमि को जोडना भी प्रमाणित करता है कि वादीगण द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया गया है। वादीगण द्वारा अपने पिता को प्रतिपक्षी बना यह वाद प्रस्तत करना भी प्रमाणित करता है कि आपसी कूसंयोजन द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया गया है। 60 वर्षों तक जब वादीगण के पिता हीरा सिंह द्वारा प्रतिपक्षीगण के विरूद्व अपने हिस्से के लिए कोई चारा जोरी नही की गई तो 60 वर्ष पश्चात् हीरा सिंह के पुत्रों का (प्रार्थीगण) वाद हेतुक लेकर न्यायालय में उपस्थित होना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। हमारे विनम्र मत में उक्त परिस्थितियों में कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस वर्णित किया गया है कि वाद के बिन्दु संख्या 09 वर्णित भूमि को पुश्तेनी कहा गया है, जो सक्ष्यों से प्रमाणित होगा। अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि वादीगण तथ्यों को छुपारकर न्यायालय में प्रस्तुत हुए है। यह अपने पिता के माध्यम से अपने अधिकार मांग रहे है। जबकि

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

23.03.2018 को इनके पिता जीवित थे, तथा पिता के जीवनकाल में इन्हे अधिकार मांगने का कोई हक नही था। अतः इनका दावा प्रीमेच्योर है, जब इनके पिता द्वारा अपने जीवनकाल में कोई आपत्ति नही की गई तो यह अपने पिता की सहमति से स्टॉप्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में जबकि यह प्रमाणित है कि श्योराम को भूमि अपने पिता से नही बल्कि विलेज सर्वेन्ट के रूप में प्राप्त हुई थी, संवत् 2016 से 2024 में श्योराम के नाम भूमि दर्ज हो जाने उपरान्त भी लगभग 60 वर्षों तक प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई, प्रार्थीगण के पिता द्वारा हस्तगत आराजी बाबत् कोई चाराजोरी नही की गई, प्रार्थीगण के पिता के जीवित रहते प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है, अतः वर्तमान में प्रश्नगत वाद प्रस्तुत करने हेतु कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। उक्त परिस्थितियों में हम प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण 01 लगायत 03) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद ना मंजूर (Reject) किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .....6/11/27..... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा